भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 235

सोमवार, 09 मार्च, 2026/18 फाल्गुन, 1947 (शक)

तमिलनाडु में सन्निर्माण कर्मकारों का कल्याण

†*235. श्री जी. सेल्वम:

श्री सी. एन. अन्नादुरई:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (बीओसीडब्ल्यू) अधिनियम और अन्य संबंधित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत तमिलनाडु में सन्निर्माण कर्मकारों के लिए कल्याणकारी सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा लाभों की उपलब्धता की समीक्षा की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य में कुल कितने सन्निर्माण कर्मकार पंजीकृत हैं और उनमें से स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना कवर, पेंशन, प्रसूति सहायता और शिक्षा सहायता जैसे लाभ प्राप्त करने वाले श्रमिकों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या पंजीकरण, नवीकरण और कल्याणकारी लाभ के संवितरण में विलंब के कारण सन्निर्माण कर्मकारों, विशेषकर प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर प्रभाव पड़ा है;

(घ) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु में सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण के लिए आवंटित और जारी की गई तथा उपयोग में लाई गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा राज्य में सन्निर्माण श्रमिकों के लिए पंजीकरण अभियानों को सशक्त करने, लाभ की पोर्टेबिलिटी में सुधार करने, कार्य करने की सुरक्षित दशाएं सुनिश्चित करने और आवास, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा की सुलभता बढ़ाने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* *****

"तमिलनाडु में सन्निर्माण कर्मकारों का कल्याण" के संबंध में श्री जी. सेल्वम और श्री सी. एन. अन्नादुरई द्वारा दिनांक 09.03.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *235 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ङ): भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 (ओएसएच एंड डब्ल्यूसी कोड, 2020) और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (सीओएसएस, 2020) में समाहित किया गया है। ये संहिताएं 21.11.2025 से लागू हो गई हैं।

केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के श्रम विभागों के साथ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलनों के माध्यम से सीओएसएस, 2020 तथा ओएसएच और डब्ल्यूसी कोड, 2020 सहित संहिताओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करती है।

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय प्राधिकरण या ऐसे अन्य प्राधिकरण को सीओएसएस, 2020 के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दर पर लगाए गए उपकर को एकत्र करने और उसे राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू बोर्ड) में जमा करने के लिए अधिदेशित किया गया है। राज्य बीओसीडब्ल्यू बोर्डों को पंजीकृत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (बीओसीडब्ल्यू) के लिए जीवन और नि:शक्तता कवर, पेंशन, बीमा, प्रमुख स्वास्थ्य चिकित्सा उपचार और प्रसूति कवर, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, ट्रांजिट आवास, कौशल विकास, जागरूकता कार्यक्रम आदि से संबंधित सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं के प्रावधान करने के लिए सशक्त बनाया गया है और इसका कार्य सौंपा गया है।

तमिलनाडु राज्य सरकार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, कुल 25,42,135 बीओसी कामगार अपने बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं। तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, विभिन्न योजनाओं के तहत निर्माण कामगारों के लिए उपयोग की गई निधि का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	लाभार्थी	राशि (रूपए में)
2022-2023	4,88,985	378,86,11,321
2023-2024	4,99,047	508,07,24,737
2024-2025	7,45,912	691,37,13,496
2025-2026 (जनवरी 2026 तक)	7,41,814	1047,47,42,606

तमिलनाडु राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उसने बीओसी कामगारों और प्रवासी कामगारों के पंजीकरण के लिए विशेष पंजीकरण शिविर, वेब पोर्टल पर पंजीकरण सुविधा, ऑनलाइन ग्राम प्रशासनिक कार्यालय (वीएओ) सत्यापन, वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण के लिए नवीनीकरण सुविधा जैसे विभिन्न

कदम उठाए हैं। कामगार/नामिति द्वारा वेब पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिशन द्वारा लाभ-दावा आवेदनों को संसाधित किया जाता है और सभी वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) के माध्यम से वितरित की जाती है। यह सूचित किया गया है कि पंजीकरण, नवीनीकरण और कल्याणकारी लाभों के वितरण में कोई विलंब नहीं हुआ है।

सीओएसएस, 2020 में बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के तहत एक लाभार्थी के रूप में बीओसी कामगारों के पंजीकरण का प्रावधान है। सन्निर्माण कर्मकारों के पंजीकरण और कल्याण के लिए तंत्र को मजबूत करने के लिए, कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत करने हेतु एक आदर्श कल्याण स्कीम और कार्य योजना तैयार की गई थी और इसके सख्त अनुपालन के लिए इसे केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया था।

ओएससीएच और डब्ल्यूसी कोड 2020, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशाओं पर मानक का प्रावधान करती है। संहिता, अन्य बातों के साथ-साथ निशुल्क, वार्षिक स्वास्थ्य जांच, निशुल्क अस्थायी आवास, सुरक्षित पेयजल, कैंटीन सुविधाओं, सुरक्षा उपकरणों और प्राथमिक चिकित्सा आदि का प्रावधान करती है। संहिता 250 या अधिक सन्निर्माण कर्मकारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों में सुरक्षा प्रथाओं की निगरानी करने के लिए नियोक्ता और कामगार-प्रतिनिधियों वाली सुरक्षा समितियों के गठन और सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति के प्रावधान भी करती है।

*****